

केवल सदस्यों के लिए

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: प-1 (77-70) ईसी/ बैठक/ 98/ 2648

दिनांक 20-8-98

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 70 वी बैठक दिनांक 18.8.98 का कार्यवाही विवरण ।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक प-1(77-70) ईसी/बैठक/98/2620 दिनांक 13.8.98 के अन्तर्गत जारी सूचना पत्र के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 70 वी बैठक दिनांक 18.8.98 को मध्याह्न 4 बजे समिति कक्ष में आयोजित की गई । बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट क पर सलग्न है ।

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नांकित विवरणानुसार निर्णय लिये गये ।

- प्रस्ताव 70.1 कार्यकारी समिति की 69 वी बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि
- पारित प्रस्ताव 70.1 कार्यकारी समिति की 69 वीं बैठक दिनांक 3.8.98 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया जाकर पुष्टि की गयी ।
- प्रस्ताव 70.2 कार्यकारी समिति की 69 वी बैठक में निर्णयों के क्रियान्विति के सम्बन्ध में ।
- पारित प्रस्ताव 70.2 कार्यकारी समिति की 69 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का परिशिष्ट-2 पर अवलोकन किया जाकर निर्देशित किया गया कि आइटम नम्बर 66.9(3), 69.5(3), 69.5(6) का अनुपालना प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे ।



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



- प्रस्ताव 70.3 देवी सहाय कानव को वरिष्ठता अनुसार नियुक्ति एवं पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।
- पारित प्रस्ताव 70.3 प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। प्रस्ताव सुस्पष्ट नहीं है। अतः प्रकरण का पुनः परीक्षण कर वस्तु स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जावे।
- प्रस्ताव 70.4 विध्याधर नगर योजना में सेन्ट्रल स्पाईन के सम्बन्ध में ।
- पारित प्रस्ताव 70.4 प्रस्तावानुसार पुष्टि की गई ।
- प्रस्ताव 70.5 नई एम्बेसेडर कार कय करने हेतु ।
- पारित प्रस्ताव 70.5 प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।
- प्रस्ताव 70.6 मृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आश्रितों को शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान करने बाबत ।
- पारित प्रस्ताव 70.6 प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं इस हेतु सेवा विनियम में संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।
- प्रस्ताव 70.7 क्षेत्रीय समिति (जोनल कमेटी) के गठन के सम्बन्ध में ।
- पारित प्रस्ताव 70.7 प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर निर्देश प्रदान किये गये कि उक्त प्रस्ताव को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे । प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख भी कर दिया जावे कि अगर किसी कारणवश 19 तारीख को बैठक नहीं हो पाती है तो आगामी कार्य दिवस को बैठक आयोजित की जावेगी ।
- प्रस्ताव 70.8 क्षेत्रीय विकास समिति (जोनल डवलपमेन्ट कमेटी) के गठन के सम्बन्ध में ।
- पारित प्रस्ताव 70.8 प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर निर्देश प्रदान किये गये कि उक्त प्रस्ताव को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे । प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख भी कर दिया जावे कि अगर किसी कारणवश 26 तारीख को बैठक नहीं हो पाती है, तो आगामी कार्य दिवस को बैठक आयोजित की जावेगी ।




सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रस्ताव 70.9 प्राधिकरण कर्मचारियों को निजी चिकित्सालयों की सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव 70.9 प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री अमर जैन मेडिकल रिलिफ सोसाईटी, एम.एस.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर एवं सन्तोक्बा दुर्लभजी पांली क्लिनिक एवं डायग्नोस्टिक सैन्टर, एस.एम.एस.अस्पताल के सामने, जयपुर के चिकित्सा खर्च के पुर्नभरण का निर्णय भी लिया गया क्योंकि उक्त दोनों संस्थान मुख्य संस्थानों की शाखा/पॉली क्लिनिक के रूप में ही कार्यरत है ।

प्रस्ताव 70.10 प्राधिकरण के विनियमों में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हकारी सेवा में संशोधन करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव 70.10 प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाकर प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया कि कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा कनिष्ठ सहायक व सहायक के रूप में कुल 10 वर्ष होनी चाहिये । इस हेतु सेवा विनियम में संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय भी लिया गया ।

प्रस्ताव 70.11 वर्कचार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण के क्रम में ।

पारित प्रस्ताव 70.11 प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाकर निम्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण के निर्देश दिये गये :

1. 40 प्रकोष्ठों में प्रति प्रकोष्ठ 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आवश्यकता बताई गई है । इस बात का परीक्षण कर लिया जावे कि क्या वास्तव में प्रति प्रकोष्ठ 2 कर्मचारियों की आवश्यकता है एवं तदनुसार ही प्रस्तुत किया जावे ।
2. इस बात का भी परीक्षण कर लिया जावे कि कार्यालय में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आवश्यकता है व इससे अधिक यदि उपलब्ध है तो उनका समुचित उपयोग क्या हो सकता है प्रस्ताव के साथ वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / बेलदार के पदस्थापन की प्रकोष्ठवार सूचना भी प्रस्तुत की जावे । प्रस्ताव पर निर्णय स्थगित रखा गया ।

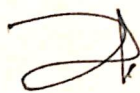


सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

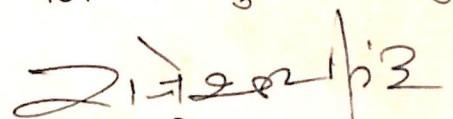


- प्रस्ताव 70.12 सेवा विनियम मे लिफ्ट आपरेटर एवं सीनियर लिफ्ट आपरेटर का संवर्ग सम्मिलित किये जाने बाबत
- पारित प्रस्ताव 70.12 प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया एवं तदनुसार सेवा विनियम में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया।
- प्रस्ताव 70.13 प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति की समीक्षा।
- पारित प्रस्ताव 70.13 प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि निदेशक(वित्त) इसकी समीक्षा करेंगे व आय व्यय का समुचित एवं यथार्थपरक आकलन कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
- प्रस्ताव 70.14 उच्च मार्ग नियंत्रण बैल्ट के सम्बन्ध में।
- पारित प्रस्ताव 70.14 प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव में निम्न बातों को समाहित करते हुए इसे प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे :
1. प्रस्ताव में उद्योग को सुपरिभाषित किया जावे एवं लघुतर उद्योगो (टाइनी सेक्टर) को उद्योग की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जावे।
 2. यह भी निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण की बैठक में प्रस्ताव के साथ इन सभी संशोधनों को दर्शाते हुए मानचित्र भी प्रस्तुत किया जावे।
- प्रस्ताव 70.15 अध्यक्ष महोदय की विशेष अनुमति से प्राधिकरण में समझौता समितियों (सेटिलमेंट कमिटीज) के गठन पर विचार विमर्श किया गया ताकि प्राधिकरण व अन्य पक्षों के मध्य चल रहे न्यायिक व अन्य विवादों का सद्भावपूर्ण ढंग से निपटारा किया जा सके एवं इस प्रकार लम्बी एवं खर्चीली न्यायिक प्रक्रिया से बचा जा सके इस सम्बन्ध में निदेशक (विधि) इन समितियों के गठन का प्रस्ताव तैयार कर आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिसके बाद विचार विमर्श आयुक्त महोदय प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे।



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

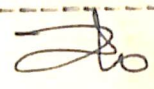
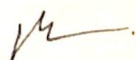
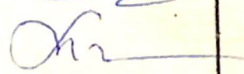
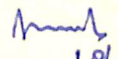


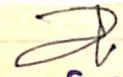
सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय टिप्पणी
जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 70 वीं बैठक दिनांक 18.8.98 को 4 बजे समिति कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य/अधिकारियों के भाग लिया :

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी मध्य सद/विभाग	हस्ताक्षर
1.	श्री. राजेश्वर प्रसाद, सचिव, जयपुर	
2.	श्री. रामचंद्र प्रसाद, जयपुर	
3.	V.L. Sharma निदेशक वित्त.	
4.	R.L. Puri Director Engg.	
5.	C.S. Beniwal Addl. Commissioner (L+P)	 18/8/98
6.		


सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर